कामगार-शिक्षा सीरीज़-५

कामगार संघ कैसे चलाएं ?

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कामगार को मज़दूर संघ और तत्सम्बन्धी विषयों पर जानकारी कराने के लिए योग्य साहित्य की देश में बहुत कमी है। कामगार देश की उन्नति का क्रांति-दूत है। उसे अपने कल्याण के लिए, उत्पादन बढ़ाने, अधिकारों व जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक बनाने हेतु, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ की ओर से कामगार शिक्षा सिरीज़ प्रकाशित की जा रही है।

सर्वाधिकार सुरक्षित

मार्च : १९६६

मूल्य : १५ पैसे

प्रकाशक :
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ,
१७-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली-१

मुद्रक :
नया हिन्दुस्तान प्रेस,
चांदनी चौक,
दिल्ली-६

कामगार संघ कैसे चलायें ?

कामगार संघ, कामगारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर विचार करता है और कार्य करता है। उसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। अकेले कामगार की हैसियत मिल मालिक के मुकाबले बड़ी गिरी हुई और कमज़ोर है। उद्योग युग अर्थात् कल कारखानों के ज़माने में, मालिक मशीनें चलाता नहीं तो भी वह मालिक है जबकि कामगार मशीनें चलाता है लेकिन वह मालिक नहीं। और यह भी सच है कि कामगार को जिन्दा रहने के लिये अपनी मेहनत–'श्रम'–बेचनी ही होगी और मालिकों को मशीन चलाने के लिये कामगार रखने ही होंगे। इस स्थिति में यदि कामगार आपसी होड़ खत्म कर एक हो जायें तो उनकी सम्मिलित हैसियत मालिक के बराबर हो जाती है। कामगारों को अपना स्वतंत्र संघठन बनाने की भी इसीलिए ज़रूरत है। वे कल कारखानों को चलाने में बराबर के साझीदार बन सकते हैं यदि एक हो कर अपना संघठन बनालें।

'कामगार' फैक्टरी उत्पादन के तरीके की एक उपज ही है। मालिक कामगार को दूसरे उत्पादन के साधन के

समान ही एक साधन मानता है। उसके लिये कच्चे माल, कल कारखाने, मशीन आदि की ही तरह कामगार भी है।

यह हम सभी जानते हैं कि समाज में कामगार की स्थिति अपने लिये खुद काम करने वाले से भिन्न है। अपने लिये काम करने वालों को दूसरे के पास नौकरी मांगने नहीं जाना पड़ता। वह अपने लिये अपने स्वार्थ हितों के लिये काम करता है। एक दूकानदार अपनी दूकान चलाता है। जो कुछ कमाता है वह अपने लिये ही। दूसरों का स्वार्थ उसके रास्ते में नहीं आता। लेकिन कामगार की हालत इससे भिन्न है। पहिली समस्या उसके सामने है—मज़दूरी ढूंढने की है ताकि वह अपने और अपने परिवार के लिये खाना, कपड़ा व रहने की जगह का इन्तजाम कर सके। यह अपने में खुद एक बड़ी समस्या है। फिर प्रश्न है इस नौकरी को कायम रखना, और साथ ही अपने काम की हालत में सुधार लाने की कोशिश करते रहना। इसके साथ ही उसे इस बात की ज़रूरत है कि दुर्घटनाओं—मशीन आदि में काम करते हुए—बीमारी आदि में सहायता और बुढ़ापे में सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हो।

मालिक कल-कारखाने क्यों चलाना चाहते हैं ? यह बात सभी मानते हैं कि निजी क्षेत्र में—ऐसे कल-कारखाने जिनपर सरकार या समाज का अधिकार नहीं है—कल-कारखाने केवल मुनाफे के लिये चलाये जाते हैं। जहां उद्योगपति के मुनाफे में कमी आई वहां आप देखेंगे कि कारखाने में छटनी शुरू हो जाती है। खर्चे में कमी के नारे उद्योगपति ज़ोरों से लगाने लगता है।

कामगार संघ की विशेषता

'कामगार संघ' कामगारों की अपनी संस्था है। वे इसके सदस्य बनते हैं अपनी इच्छा से न कि किसी के दबाव या बहकावे में आकर। कामगार संघ को चलाने की पूरी जिम्मेवारी उनकी है। उनका स्थान संघ में वही है जो शरीर में प्राण का है। कामगार संघ कितना कमज़ोर या मज़बूत है यह उसके सदस्यों के गुण पर निर्भर है। यूनियन के आम सदस्य जितने जागरूक व सक्रिय होंगे यूनियन उतनी ही मज़बूत होगी।

हर कामगार, जो अपने संघ (यूनियन) का सदस्य होता है वह, अच्छी तरह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यह उन यूनियनों की तरह नहीं जहां मालिक के दबाव में आ कर उन्हें उसका मेम्बर बनना पड़ता हो। ऐसी यूनियनों को आमतौर पर 'कम्पनी यूनियन'—मालिकों की यूनियन—कहा जाता है। इस प्रकार की यूनियनों का मेम्बर कामगार अपनी इच्छा से नहीं बनता। और न ये यूनियनें कामगार के हितों की रक्षा के लिये ही बनाई जाती हैं।

कामगार जब यूनियन का सदस्य बनता है तो उसको कुछ अधिकार मिलते हैं और उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेवारियां आ जाती हैं।

यूनियन सदस्य के अधिकार

यूनियन के सभी सदस्य बराबर हैं। एक समान हैं। लेकिन सभी मेम्बर एक साथ बैठ कर हमेशा फैसला लें और

कार्य करें यह कठिन हो जाता है❀। इसलिये रोज़मर्रा के काम चलाने के लिये सदस्यों में से ही एक कमेटी चुन ली जाती है। इसे आमतौर पर कार्यकारिणी कमेटी कहते हैं। कोई भी सदस्य यदि चाहे तो यूनियन में किसी भी पद के लिये खड़ा हो सकता है। हर सदस्य का वोट—राय होती है और वही चुना जाता है जिसे ज्यादा राय मिलती हैं। इस प्रकार चुनाव लड़ने और राय देने का हक़ हर सदस्य को हासिल है। प्रजातंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है। इसी के आधार पर यूनियन चलाई जाती है।

यूनियन सदस्य की ज़िम्मेवारियां

अन्य सदस्यों के साथ मिलकर यूनियन को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाने की ज़िम्मेवारी हर मेम्बर की है। यूनियन की आर्थिक तौर पर सहायता करना—चन्दे आदि से तथा उसके फैसलों को अमल में लाने के लिए सक्रिय रूप से यूनियन के कामों में भाग लेना भी हर सदस्य की ज़िम्मेवारी है।

कामगार संघ एक प्रजातांत्रिक संस्था है

यूनियन को असरदार तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है कि यूनियन उन्हीं मांगों के कार्यक्रमों को उठाए जो अधिकतर कामगार सदस्यों के हित में हों। अधिकतर कामगार क्या चाहते हैं या यूनियन के कार्यक्रम या फैसलों में अधिकतर कामगारों की सहमति हो इसके लिए आवश्यक है

❀ 'कामगार शिक्षा-सीरीज़' की पुस्तिका 'कामगार संघ और सदस्य' का अध्ययन वांछित है।

कि यूनियन को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाये। यूनियन इस प्रकार चलाई जाए कि जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हों उन पर हर सदस्य को राय देने का मौका मिले। प्रजातन्त्र का आधार मानव की समानता है यानी संस्था में सभी सदस्य बराबर हैं और उनके अधिकार और ज़िम्मेवारियां भी एक सी हैं। प्रजातंत्र में जनता अपनी राय से प्रतिनिधि चुनती है। हर मेम्बर का अपना वोट होता है और वह उसका उपयोग बिना किसी दबाव या बहकावे के करने के लिए आज़ाद है। प्रजातांत्रिक तरीकों से चलाई जाने वाली संस्थाओं में बहुमत का फैसला सबके लिए लागू होता है। बहुमत से ही तय किया जाता है कि यूनियन क्या करे और क्या न करे ? लेकिन 'कम्पनी यूनियनों' में मालिक के इशारे पर फैसले लिए जाते हैं न कि कामगारों की राय से।

कामगार यूनियनें सही तौर पर कामगारों की अपनी संस्था हों। उनकी मांग मनवाने व शिकायतों को दूर करवाने तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हितों की रक्षा करने व हासिल करवाने की साधन बन सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाये।

हर कामगार संघठन कामगार संघ नहीं है

ब्रिटेन में तो कामगार संघ उद्योगपतियों के भी बन सकते हैं। 'भारतीय श्रमिक-संघ कानून, १९२६' के अनुसार यदि देखें, तो मालिकों के आपसी सम्बन्धों के नियमन के लिए बनाया गया संघ, श्रमिक संघ की परिभाषा के अन्दर आ जाना चाहिए। पर ऐसे संघठनों को 'कामगार संघ' किसी भी माने में नहीं कहा जा सकता।

देखा गया है कि कामगार अपने मनोरंजन के लिए ड्रामा,क्लब या मण्डलियां बना लेते हैं। ऐसी संस्थायें बड़ी अच्छी व लाभदायक होती हैं लेकिन इनको भी हम 'कामगार संघ नहीं मान सकते।

इसी प्रकार कामगार कहीं-कहीं सहकारी-संघ(Co-oprative Union) बना लेते हैं। उनका लक्ष्य सस्ती व अच्छी चीजें प्राप्त करना होता है। ये संस्थायें आवश्यक भी हैं और महत्वपूर्ण भी। ये संस्थायें प्रजातांत्रिक भी हैं लेकिन इनको भी हम 'कामगार-संघ' की श्रेणी में नहीं रख सकते।

'कामगार-संघ' कामगार वर्ग द्वारा, अपनी रक्षा तथा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक संघठित संस्था है। ये केवल कामगारों तक ही सीमित होती है। मुख्यतः 'सामूहिक सौदागिरी'* द्वारा कामगारों के काम की दशा में सुधार लाना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। साथ ही ये व्यापक रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक प्रश्नों पर कामगारों के दृष्टिकोण को व्यक्त करती हैं।

कामगार यूनियनें कितने प्रकार की हो सकती हैं ?

१–शिल्प के आधार पर—आरम्भ में कुशल कारीगर अपनी यूनियनें बनाते हैं। एक प्रकार का काम करने वाले कारीगर एक यूनियन बना लेते हैं। मिस्त्री, ड्राइवर, रेलवे गार्ड, स्टेशन मास्टर वगैराह की यूनियनें बनती हैं। इससे एक बात तो यह होती है कि कुशल कारीगर जो फैक्टरी में

---

* 'कामगार शिक्षा-सीरीज़' में प्रकाशित 'सामूहिक सौदागिरी' पुस्तिका को पढ़ा जाये।

अपनी खास महत्व की जगह रखते हैं—सामूहिक सौदागिरी के ज़रिए अपनी मांगें आसानी से मनवा लेते हैं। आम तौर पर होता यह है कि यदि कुशल कारीगर काम रोक दें तो कारखाना ठप्प हो जाता है। इस प्रकार का प्रयोग औद्योगिक क्रांति के आरम्भिक काल में हुआ अथवा मशीनों के आधुनिकीकरण और तकनीकी की चरम उन्नत अवस्था में सामने आ रहा है।

लेकिन बुरा असर यह होता है कि अकुशल या अर्ध-कुशल कामगार संघठित नहीं हो पाते। कुशल कारीगर, जो वास्तव में फैक्टरी का नेता भी होता है, अपनी पोजीशन के कारण बाकी कामगारों को कोई नेतृत्व नहीं दे पाता। कामगार में फूट पड़ने का अन्देशा रहता है। यहां कह देना आवश्यक है कि कई देशों में कुशल कारीगरों ने जब अपने अनुभव से देखा कि अकुशल कारीगरों का असंघठित रहना उनके हित में नहीं तो उन्होंने उनको भी संघठित करने के सफल प्रयास किये। लेकिन यह स्थिति उस समय थी जब फैक्टरी उत्पादन की शुरूआत ही हो रही थी। कुशल और अकुशल कारीगरों में बड़ा फर्क था। उनके वेतन में भी बड़ा फर्क था। मशीनों का प्रयोग शुरू ही हुआ था और उनको चलाने के लिये सूझ बूझ वाले लोगों की जरूरत पड़ती थी जो उस समय कम मिलते थे। धीरे-धीरे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया। एक ओर तकनीकी शिक्षा वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई और दूसरी ओर अकुशल कारीगरों की ज़रूरत कम होती गई। साथ ही फैक्टरियों में कारीगरों—कुशल व अकुशल की विभेद संख्या भी कम होती गई।

कुछ औद्योगिक रूप से आगे बढ़े देशों में तो यह समस्या इतनी गम्भीर है कि यदि वे आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग शुरू कर दें, तो बेकार कामगारों की फौज इतनी बड़ी हो जाये कि वहां का सामाजिक ढांचा ही चरमरा उठे। आधुनिक मशीनों के प्रयोग ने कई देशों में तो कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल कारीगरों का भेद करीब-करीब मिटा दिया है। और यदि मशीनों का प्रयोग इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो यह भेद शीघ्र खत्म हो जायेगा। हमारा देश अभी इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यहां आज भी कामगारों में अर्ध-कुशल या अकुशल कारीगरों की बहुतायत है।

आमतौर पर इस आधार पर बनी कामगार यूनियनें बहुत ही कम हैं। इस प्रकार की 'शिल्प' आधार पर यूनियनें अहमदाबाद में बनीं। वहां कपड़ा उद्योग में छः बड़े शिल्पों के अपने संघ हैं—बुनकर संघ, कर्तक संघ, आकार-मापक संघ, तेली संघ इत्यादि। इन छः संघों का, सन् १९२० में मिल कर, एक महासंघ बना–'मजूर-महाजन संघ'। किसी समय ये महासंघ केवल संघों के काम में समन्वय स्थापित करता था। आज स्थिति बदल गयी है और यह महासंघ बहुत शक्तिशाली है और शिल्पी–संघ उसकी शाखा की तरह काम करते हैं। इस तरह रेलवे में भी स्थापित पुरानी 'गार्ड-यूनियन', 'ड्राइवरों की यूनियन', 'स्टेशन मास्टरों की यूनियन' का हाल है।

२–उद्योग के आधार पर—कामगार आन्दोलन में उद्योग के आधार पर यूनियन संघठन करने की प्रथा कुछ समय से ही शुरू हुई है। एक उद्योग में काम करने वाले सभी

कामगारों का एक संघठन बनाया जाता है। उदाहरण के लिये कपड़ा उद्योग को लीजिये। टैक्सटाइल फैक्टरियों के सभी कामगारों का, चाहे वे किसी खाते या डिपार्टमेंट में काम करते हों, एक ही संघठन होगा। चाहे उसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाये या क्षेत्रीय स्तर पर। यदि मान लिया जाये कि ऐसा संघठन राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाये तो उसका ढांचा कमोबेश इस प्रकार का होगा:–हर टैक्सटाइल फैक्टरी इस संघठन की इकाई होगी। ये इकाइयां ही राष्ट्रीय स्तर पर संघठन का रूप निर्धारित करेंगी। छोटे देशों में यह आसान होगा लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर संघठन सहज नहीं होगा। इसके लिए एक बीच की कड़ी और बनानी होगी–क्षेत्रीय स्तर पर संघठन।

इस प्रकार उद्योग के आधार पर संघठित यूनियनों में एक फैक्टरी या एक स्थान में काम करने वाले सभी कामगार सदस्य बनते हैं और कुशल व अकुशल का भेद समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार के कामगारों का एक ही यूनियन में आ जाने से यूनियन मज़बूत होती है और कामगारों में आपसी भाई-चारे और सहयोग की भावना बढ़ती है।

३– क्षेत्रीय आधार पर—ऐसी यूनियनें क्षेत्रीय आधार पर संघठित की जाती हैं उनमें, एक क्षेत्र में जितने भी उद्योग हों, उन सबको ही कामगार संघ में शामिल कर कर लिया जाता है। यहां कुशल, अकुशल या उद्योग आदि का कोई भेद नहीं किया जाता।

हमारे देश में तीनों प्रकार की यूनियनें संघठित हैं। 'शिल्प' आधार पर बनी यूनियनें भी आमतौर पर 'उद्योग'

के आधार पर बनी यूनियनों के साथ ही काम करती हैं। इस प्रकार हमारे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में यूनियनें उद्योग के आधार पर संघठित हैं लेकिन छोटे-छोटे स्थानों पर 'सामान्य यूनियनों' का ही अधिक प्रचलन है। 'एक उद्योग एक यूनियन' की बात सिद्धान्त के तौर पर तो सभी ने मान ली है पर इसके अमल में लाने में मुख्य अड़चने हैं—कामगार का पिछड़ापन तथा कामगार यूनियन क्षेत्र में राजनीतिक दलबन्दी तथा किसी कानूनी दबाव का न होना। कहीं-कहीं तो छोटी फैक्टरियों में एक से अधिक यूनियनें बनी हुई हैं और एक शहर में तीन चार 'सामान्य यूनियनों' का होना तो आम बात हो गई है।

किस प्रकार का संघठन कामगारों के लिए सबसे उत्तम है? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। संघठन की बात जगह, परिस्थिति तथा आवश्यकताओं पर निर्भर है। यदि छोटी जगह है और तरह-तरह के उद्योगों की छोटी-छोटी फैक्टरियां हैं तो ऐसे स्थान के लिए 'सामान्य कामगार यूनियन अधिक अच्छी रहेगी। लेकिन यदि बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, तो संघ उद्योग के आधार पर संघठित हो, यह सब से उत्तम होगा।

'कामगार-संघ' का ढांचा

जब हम संघ के ढांचे या स्वरूप की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि ढांचे का मतलब क्या है? आदमी के शरीर के ढांचे से हमारा क्या अभिप्राय होता है? आदमी के शरीर के विभिन्न हिस्से अपनी जगह पर ठीक व स्वस्थ हों ताकि वह अपना काम ठीक तरीके से कर सके। शरीर का

गठन ऐसा हो कि काम करने में अड़चनें न हों।

ठीक यही बात 'कामगार-संघ' के गठन के बारे में कही जा सकती है। 'कामगार संघ' के कुछ ध्येय तथा काम हैं जिनको सुचारु रूप से निभाने के लिए 'कामगार-संघ' बनाया जाता है। कामगार-संघ—कामगारों के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हितों की रक्षा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि ढांचा भी इसी के अनुसार बनाया जाए।

परिवार जिस प्रकार समाज की इकाई है ठीक उसी प्रकार' कामगार संघ' की इकाई फैक्टरी-शाखा(ब्रांच) होती है। यह भी मुमकिन है कि किसी यूनियन की शाखा ही न हो। चाहे यूनियन उद्योग के आधार संघठित की जाए या सामान्य कामगारों को लेकर बनाई जाए, इसकी इकाई या यूनिट फैक्टरी या काम का स्थान ही होना चाहिए। इससे यूनियन के काम को चलाने में बड़ी सहूलियत रहती है। कहीं-कहीं यदि फैक्टरी में कामगारों की संख्या बहुत ही कम हो तो एक ही स्थान पर छोटी-छोटी सभी फैक्टरियों को मिला कर एक यूनिट या ब्रांच—बनाई जा सकती है। अमरीका में इसी आधार पर यूनियनों का संघठन किया जाता है और हमारे देश में आमतौर पर यूनियनें इसी आधार पर संघठित हैं। लेकिन इंगलैण्ड में मुख्यतः यूनियनों का संघठन कामगारों की बस्तियों के आधार पर किया जाता है। ऐसी ब्रांच अथवा यूनिट में, एक बस्ती में रहने वाले सभी कामगार एक ही ब्रांच के सदस्य होते हैं—उनके काम के स्थान या फैक्टरियां अलग-अलग हो सकती हैं। 'शिल्पी यूनियनों' का संघठन आमतौर पर इसी आधार पर हुआ करता था।

शाखा (ब्रांच) कितनी बड़ी या छोटी हों ?

यह प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा है। इसके बारे में कोई एक आधार निश्चय नहीं किया जा सकता। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर होगा कि फैक्टरी कितनी बड़ी है और कितने कामगार यूनियन के सदस्य बन रहे हैं ?

कई लोग यह मानते हैं कि यूनियन की ब्रांच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हर मेम्बर एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके। इससे सहयोग और भाई-चारे की भावना पैदा करने में बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए उनका कहना है कि यूनियन की ब्रांच में १५० से २०० तक सदस्य होने चाहिए।

यूनियन की इकाई का आधार फैक्टरी या काम का स्थान यदि मान लिया जाए तो ब्रांच को १५० या २०० मेम्बरों तक ही सीमित रखने की कोई शर्त नहीं रक्खी जानी चाहिए। यदि किसी फैक्टरी में १०००-२००० सदस्य हों तो चन्दा, खाता, कार्यकारिणी आदि कमेटियों आदि के संघठन से कामगारों को आपस में मिलने व भाई चारा लाने की सुविधा पैदा की जा सकती है।

इसलिए यह सिद्धान्त आमतौर पर मान लिया गया है कि फैक्टरी में जितने भी लोग काम करते हों उन्हें एक ही यूनिट या ब्रांच का सदस्य बनाया जाना चाहिए और सदस्य संख्या की सीमा का बन्धन नहीं रखा जाना चाहिए।

ब्रांच व कामगार संघ

आमतौर पर यह होता कि ब्रांच यूनियनें मिल कर

एक संत्र बनाती हैं। कहीं-कहीं यह संघ क्षेत्रीय संघ बन कर रह जाता है और कहीं पर यह राष्ट्रीय रूप ले लेता है।

एक उद्योग-एक संघ, एक राष्ट्र-एक महासंघ

कामगार हितों की रक्षा की एक ही गारन्टी है—कामगार एका। ज़ाहिर है यदि एक ही उद्योग में कई यूनियनें बनी होंगी तो मालिक इस स्थिति का फायदा उठाएगा और इनके बने रहने में ही उसका हित है। पर कामगार के हित में आवश्यक है कि यह स्थित समाप्त की जाए।

यह अन्य देशों के कामगारों का सामूहिक अनुभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि मज़बूत कामगार संघ है तो देश में आम कामगारों की आर्थिक स्थिति भी मज़बूत होती है। कामगारों में दलबन्दी व फूट मालिकों के मुकाबिले सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर कर देती है और नतीजे में कामगारों को जितना लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता।

राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर कामगार संघों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वे पार्लियामेण्ट या विधान सभाओं में कामगारों के हित में क़ानून बनवाने के लिये जन-मत तैयार कर सकते हैं। इसके लिये कामगारों के हित में एक आवाज़ होनी चाहिये। जब हर दल कामगारों के नाम पर 'अपनी ढपली अपना राग' अलापेगा तो किस प्रकार का कानून बनेगा ? इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय संघ

आज की दुनिया इतनी संकुचित हो गई है कि कोई

देश दूसरे देश में होने वाली घटनाओं से बेखबर नहीं रह सकता। किसी देश की छोटी से छोटी घटना सारे संसार में अपना असर डालती है। कोरिया में युद्ध हुआ और भारत में चीज़ों के दाम बढ़ गये। 'इंगलैंड' के बाज़ार में चाय के दाम गिरते हैं और आसाम के चाय बागानों में छंटनी व वेतन में कटौती होने लगती है। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। हम लोगों में ऐसे लोग अब भी होंगे जिन्हें सन् १९३० के आर्थिक संकट की याद होगी। अमरीका में मन्दी आई और सारी दुनिया में आर्थिक संकट फैल गया। किसान तो पिसे ही कामगारों में भी बेकारी अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। राष्ट्रों के बीच 'शीत युद्ध' में तेज़ी आती है और देशों के बाज़ार में ज्वारभाटा आ जाता है। जिससे अंतिम ठेंस 'कामगार' के जीवनस्तर पर ही पड़ती है।

आज जबकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं तो हमारा एक दूसरे से हर स्तर पर सम्बन्ध रहना चाहिये। कामगारों के स्तर पर भी इसी प्रकार का सम्पर्क ज़रूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कामगार आन्दोलन को न केबल प्रेरणा व स्फूर्ति ही देता है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा बनाये रखने में सहायक होता है। शान्ति का ही प्रश्न लीजिये। विश्व-शान्ति सभी के लिये ज़रूरी है। लेकिन कामगार व किसानों के लिये यह परम आवश्यक है। युद्ध में मरता व पिसता कौन है? कामगार, किसान व मेहनतशक जनता। अन्तर्राष्ट्रीय

कामगार-संघ[1] इस प्रकार सद्भावना पैदा करने व युद्ध के खतरे को दूर करने में बहुत सक्रिय योग दे सकते हैं। सौभाग्य से जिसकी नींव १९१९ में ही पड़ चुकी है और जिसने संसार के कामगार-आन्दोलन में महान् प्रेरणा और स्फूर्ति फूंक दी है।

१. (कामगार सीरीज़ के अन्तर्गत प्रकाशित 'अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संघ' (आई० एल० ओ०) पुस्तिका का अध्ययन लाभकारी होगा।

नोट

हमारे हिन्दी प्रकाशन

१. मजदूर शिक्षा और तकनीक प्रणालियाँ	०-७५
२. लोक-नाटक	३-००
३. समाज-शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम	०-७५
४. प्रौढ़-शिक्षा-आधुनिक विचारधारायें और प्रयोग	२-००
५. सामुदायिक विकास में प्रौढ़-शिक्षा	०-५०
६. सहकारी समितियां और आधारभूत शिक्षा	२-५०
७. प्रौढ़-शिक्षा में सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व	२-५०
८. स्त्रियों की नागरिक शिक्षा	२-००
९. नव-साक्षरों के लिए पत्रिकाएं-सम्पादकीय प्रणालियां	२-००
१०. प्रौढ़-शिक्षा—दो मासिक पत्रिका, वार्षिक चन्दा	२-५०
११. कामगार शिक्षा—मासिक पत्रिका—वार्षिक चन्दा	१-००
१२. सामूहिक सौदागिरी	०-३५
१३. कामगार और क़ानून	०.३५
१४. कामगार संघ क्या है ?	०.१५
१५. कामगार की विशेषताएँ	०.१५
१६. कामगार संघ कैसे चलाएँ ?	०.१५
१७. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन (प्रेस में)	०.१५

मिलने का पता :—

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ,
१७-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई, दिल्ली-१

अंग्रेजी प्रकाशन

1. Workers' Education	2-50
2. Methods & Techniques of Workers' Education	3-00
3. Trade Unions and Workers' Education	1-00
4. Liquidation of Illiteracy	2-00
5. Life Long Learning For Survival	3-50
6. What it is and What it does—	1-00
7. Indian Journal of Adult Education—A Monthly Yearly Subscription	8-00
8. Adult Education in South Asia	1-00
9. Workers Education Abroad	2-00
10. On To Eternity Vol. I	5-00
11. On To Eternity Vol. II	-50
12. New Trends in Adult Education in India	2-00

Can be had from—

The Business Manager,
Indian Adult Education Association,
17-B, Indraprastha Marg,
New Delhi-1 (India)

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का शिक्षा क्षेत्र में एक नया कदम

'कामगार शिक्षा'

हिन्दी मासिक पत्रिका। कामगारों में स्वस्थ और मजबूत
ट्रेड-यूनियन शिक्षा प्रसार व प्रसारण हेतु
जनवरी १९६५ से प्रकाशित

पत्रिका में पढ़िये :—

- श्रम कानून
- वैज्ञानिक विचार और युग चमत्कार
- समाज शिक्षा
- राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय कामगार हलचलें
- कामगार की डाक
- आपकी समस्या हमारे सुझाव
- कविता व्यंग व व्यंग चित्र

ताकि हर कामगार को सुलभ हो सके, १६ पृष्ठों की एक प्रति का मूल्य दस पैसा तथा वार्षिक चन्दा केवल एक रुपया रखा गया है।

पत्र-व्यवहार करें :

कार्यालय :—
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
१७-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग
नई दिल्ली-१